

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक—  
प्रेषक,

BRRDA(HQ)GTSNY-248/22-

866

पटना, दिनांक— 24.05.2023

संजय दूबे (भा0प्र0से0)  
विशेष सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय :

योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)—लघु शीर्ष-103— ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0119—ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, 5301—मूल निर्माण कार्य के अन्तर्गत राज्य के सारण जिला में कार्य प्रमंडल, सोनपुर के क्षेत्राधीन ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अंतर्गत परसा प्रखंड में “Suresh Rai House To Samudayik Bhawan” पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.600 कि०मी० है, के मूल निर्माण कार्य हेतु Rs. 54.433 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि Rs. 1.249 लाख अर्थात् कुल राशि Rs. 55.682 लाख (पचपन लाख अरसठ हजार दो सौ रुपये मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सोनपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पथ निर्माण की कुल 1 (एक) योजना “Suresh Rai House To Samudayik Bhawan” के निर्माण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-13 में अंकित राशि की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तालिका

| Sl. No. | District | Works Division | Block | GTSNY Sl. No. | Habitat ion Code | Name of Road                         | Length (km) | Revised AA Amount |                   |           |              |             |
|---------|----------|----------------|-------|---------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|
|         |          |                |       |               |                  |                                      |             | (In Lakh)         |                   |           |              |             |
|         |          |                |       |               |                  |                                      |             | Const. Amt        | 5 Yrs. Maint. Amt | Total Amt | Cost of Land | Grand Total |
| 1       | 2        | 3              | 4     | 5             | 6                | 7                                    | 8           | 9                 | 10                | 11        | 12           | 13          |
| 1       | Saran    | Sonpur         | Parsa | 3516          | 3303             | Suresh Rai House To Samudayik Bhawan | 0.600       | 54.433            | 1.249             | 55.682    | 0.000        | 55.682      |
| Total   |          |                |       |               |                  |                                      | 0.600       | 54.433            | 1.249             | 55.682    | 0.000        | 55.682      |

- योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्राक्कलन में प्रावधानित सभी मद GTSNY के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं तथा निर्माण सामग्रियों की ढुलाई का प्रावधान निकटतम स्रोत से विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में है।
- इस योजना को वर्ष 2023-24 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सोनपुर योजना की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

24/5/2023

5. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सोनपुर सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
6. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सोनपुर योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
7. कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यो का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
8. कार्यो का क्रियान्वयन GTSNY की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।
9. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007-3758/वि0 पटना दिनांक-31.05.2017 के कंडिका 5 में अंकित निदेशों का पूरी तरह पालन किया जाय।
10. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. (क) बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।  
(ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007-3758/वि0 पटना दिनांक -31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।  
(ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।  
(घ) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।  
(ङ) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
12. कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्ट कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
13. इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकार माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री महोदय द्वारा संचिका सं0-BRRDA(HQ)GTSNY-248/22 के पृष्ठ सं0-09/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।
14. इस योजना मद में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर मरम्मत शीर्ष 3054 से किया जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक-एम0 4-53/2007-3758/वि0 पटना, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4 एवं 5 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका सं0-BRRDA(HQ)GTSNY- 248/22 के पृष्ठ सं0- 13 / टि0 पर दिनांक 24.5.2023 को विभागीय

5/5

m

8  
24/5/2023

सचिव महोदय के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-BRRDA(HQ)GTSNY-248/22 के पृष्ठ  
सं०- 13 / टि० पर दिनांक 12.5.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

24/5/2023

विशेष सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)GTSNY-248/22 866 /पटना, दिनांक- 24.05.2023  
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)GTSNY-248/22 866 /पटना, दिनांक- 24.05.2023  
प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री महोदय के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं  
विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/  
प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, सारण/उपविकास आयुक्त, छपरा/अभियंता प्रमुख,  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3,  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल,  
छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने  
हेतु प्रेषित।

24/5/2023

विशेष सचिव

jm m